अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या–15/20/95–का–4–2015

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 08 सितम्बर, 2017

विषयः–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को समय से अधियाचन प्रेषित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, मुख्य सचिव, उ0प्र0 की ओर से निर्गत पत्र दिनांक–01.अगस्त, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया है कि उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश में दिये गये सुस्पष्ट प्राविधानों/निर्देशों के बावजूद विभागों द्वारा आयोग को समय से अधियाचन उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं। आयोग द्वारा यह भी अवगत कराया है कि सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2018 से संबंधित मात्र कुल 05 विभागों के यथा– सहायक श्रमायुक्त, जिला कमांडेट, शोध अधिकारी अनुश्रवण, श्रेणी–11 , सहायक सेवायोजन अधिकारी(परिवर्तित पदनाम सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी) तथा जिला पंचायतराज अधिकारी के पदों का अधियाचन आयोग को प्राप्त हुए हैं। अन्य किसी भी विभाग द्वारा लोक सेवा आयोग को अधियाचन अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

3. शासन के समसंख्यक पत्र दिनांक 01.08.2017 द्वारा आपसे निम्नवत् अनुरोध किया गया था:–

(1) सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2017–18 से संबंधित पदों के अधियाचन विलम्बतम दिनांक 31.08.2017 तक आयोग को उपलब्ध करा दिये जायें, ताकि उक्त परीक्षा का विज्ञापन दिनांक 01 जनवरी, 2018 को प्रकाशित किया जा सके तथा सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2018–19 से संबंधित पदों के अधियाचन विलम्बतम दिनांक–30.11.2017 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें । यदि उक्त परीक्षा में सम्मिलित करने हेतु पद उपलब्ध नहीं हैं, तो भी तदानुसार उक्त तिथि तक आयोग को अवगत करा दिया जाय।

उक्त पत्र दिनांक 01.08.2017 की ओर आपका ध्यान पुनः आकृष्ट करते हुए, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2018 से संबंधित पदों के अधियाचन अब तक आयोग को न उपलब्ध कराने के कारण सहित अधियाचन तत्काल आयोग को प्रेषित करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से अवगत करायें ।

भवदीय,

(दीपक त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–15/20/95(1)–का–4–2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या–105/7/ई–1/2017–18 दिनांक 29.08.2017 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव